न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक,श्रीमाधोपुर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी : बृजेश कुमार,आर.ए.एस

वाद संख्या 237/2014
बी.टी नम्बर 737/2017

उनवान

1. जगदीश पुत्र श्योला (पुत्र लादू)
2. चौथमल पुत्र श्योला (पुत्र लादू)
3. रामकुंवार पुत्र श्योला (पुत्र लादू)
4. अर्जुन पुत्र श्योला (पुत्र लादू)

समस्त जाति अहीर निवासीगण पारोड़ा (हथोरा) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

.....वादीगण......

बनाम

1. मांगू पुत्र लादू जाति यादव निवासी पारोड़ा (हथोरा) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

....प्रतिवादीगण...

दावा बाबत इस्तकरार एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः–श्री विक्रय सिंह बांकावत अधिवक्ता वादीगण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

निर्णय दिनांकः– 26-10-20

संक्षेप वाक्यात दावा वादीगण इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 591, 592, 594, 597, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 613, 614, 615, 616, 623, 624, 630 किता 21 रकबा 15.79 अवस्थित तन ग्राम पारोड़ा तहसील श्रीमाधोपुर की खातेदारी वादीगण के 1/4 हिस्सा व 1/4 हिस्सा मांगू पुत्र श्योला का तथा शेष 1/2 हिस्से की खातेदारी अन्य सहखातेदारान के नाम अंकित है तथा भूमि ख.न. 1595, 1599, 1600 किता 3 रकबा 2.06 है तन ग्राम हथोरा तहसील श्रीमाधोपुर का वादीगण के 1/4 हिस्सा, मांगू पुत्र श्योला के 1/4 हिस्सा व 1/2 हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज है। उपरोक्त भूमियों में प्रतिवादी सं. 1 मांगू पुत्र श्योला का नाम गलत दर्ज है। वादीगण के पिता स्व0 श्योला पुत्र लादू अपने पिता के एकमात्र अकेली सन्तान थी। मांगू नाम का काई पुत्र लादू के नही था। श्योला पुत्र लादू का स्व0 हो चुका है उसके वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी है। सजरा ... मृतक लादू के एक

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2020.10.27 12:20:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

मात्र पुत्र/वारिस स्व0 श्योला ही था तथा विवादित भूमियों के 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त निर्विवाद रूप से अपनी मृत्युपरान्त तक चला आ रहा था। उसके पश्चात उसके वारिसान वादीगण 1 ता 4 मौके पर उपरोक्त भूमियों के 1/2 हिस्से सम्पूर्ण पर काबिज काश्त चले आ रहे है। अन्य किसी का कोई कब्जा काश्त अधिपत्य नही रहा ,ना वर्तमान में है। राजस्व अभिलेख में राजस्व कर्मचारियों की गलती/भूलवश श्योला, मांगू पुत्र लादू अंकित हो गया जबकि मांगू पुत्र लादू यानि लादू के मांगू नाम का कोई पुत्र नही था। राजस्व रिकार्ड में श्योला पुत्र लादू हिस्सा 1/2 दर्ज किया जाना चाहिये था परन्तु सहवन से मांगू पुत्र लादू का नाम गलत दर्ज कर दिया गया, जिसकी जानकारी वादीगण को अपने पिता की मृत्यु होने पर भूमियों की खातेदारी अपने नाम से करवाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तब हुई। इसी दौरान एक व्यक्ति ने अपने को फर्जी रूप से तथाकथित मांगू पुत्र लादू बनकर अपने नाम से उक्त भूमियों की खातेदारी करवाने की कार्यवाही की जिस पर वादीगण ने फौजदारी मुकदमा धारा 420, 467, 471 आई.पी.सी. में दर्ज करवाया है जिसमें अनुसंधान होकर तथाकथित व्यक्ति के विरूद्व न्यायालय द्वारा प्रंसज्ञान लिया गया है तथा उक्त प्रकरण अनुसंधान में स्पष्ट रूप से लादू के एक मात्र पुत्र श्योला ही होना पाया गया है। वादीगण वादग्रस्त भूमियों के 1/2 हिस्से पर बुजुर्गान के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण के अधिकारयुक्त कब्जे काश्त की निरन्तरता, अवरोधहीनता व वैधानिकता लिये हुये है इस प्रकार वादीगण को तथाकथित मांगू पुत्र लादू का नाम हजफ कर वादीगण को खातेदार काश्तकार उद्धोषित किया जाना न्यायोचित है। अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावें एवं विवादित भूमियों में प्रतिवादी सं.1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जावें।

वादीगण की और से वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी सं. 2 विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी सं. 1 की तामील प्रोपर नही होने से रजिस्टर्ड ए.डी से करवाये जाने हेतु आदेशित किया गया। रजिस्टर्ड ए.डी. लिफाफे पर भी यह अंकित किया हुआ मूल ही लोटा की पारोड़ा ग्राम में इस नाम का व्यक्ति नही है। तत्पश्चात प्रतिवादी सं. 1 की तामील जरिये समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका जो राज्य स्तर पर प्रकाशित होता हो में करवायी जाने के आदेश दिये गये। वादीगण द्वारा आदेशानुसार प्रतिवादी सं. 1 के सम्मन का सायां का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशन की प्रति पेश ही। प्रतिवादी सं. 1 की तामील जरिये समाचार पत्र प्रकाशन होने के बावजूद भी उनकी और से कोई हाजिर अदालत नही आने के कारण प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2020.10.27 12:20:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

गई। साक्ष्य वादी में वादी जगदीश का शपथ पत्र एवं गवाहान के शपथ पत्र प्रस्तुत हुये। बहस वकील वादीगण सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने वादपत्र के कथनों को दौहराते हुये बताया कि कि वादग्रस्त आराजी मद नं. 1 व 2 वादपत्र की खातेदारी वादीगण के नाम 1/4 हिस्सा, मांगू पुत्र श्योला के नाम 1/4 हिस्सा व शेष 1/2 हिस्से की खातेदारी अन्य सहखातेदाराने के नाम दर्ज रिकार्ड है। सजरा खानदान पेश किया है। लादू के एक मात्र पुत्र व वारिस श्योला पिता वादीगण था। मांगू नाम की लादू के कोई पुत्र सन्तान नही थी। वादीगण का पिता श्योला अपने पिता लादू के जीवनकाल से ही विवादित भूमियों के 1/2 हिस्से पर निर्विवाद रूप से काबिज काश्त चला आ रहा था तथा उसके फौत होने पर वादीगण 1/2 हिस्से पर लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है। अन्य किसी का 1/2 हिस्से से कोई सम्बंध व सरोकार नही है। राजस्व अभिलेख में राजस्व कर्मचारियों की भूलवश व सहवन से मांगू का नाम दर्ज हुआ है जबकि लादू के मांगू नाम का कोई पुत्र नही था। सरपंच ग्राम पंचायत हथोरा का प्रमाण पत्र भी पेश किया है जिसमें भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि लादू के एक मात्र वारिस श्योला ही है मांगू नाम का कोई पुत्र नही था। प्रस्तुत शपथ पत्र सह खातेदार बद्री पुत्र हरला व पडोसी काश्तकार ने भी वाद के कथनों ताईद की है। मेजरनामा भी पेश किया है जिससे भी विवादित भूमियों के 1/2 हिस्से पर हमारा पूर्वजो के समय से कब्जा काश्त होना व लादू के मांगू नाम का कोई पुत्र नही होना जाहिर है। विवादित भूमियों की फर्जी रूप से मांगू पुत्र लादू बनकर खातेदारी अपने नाम करवाने की पूर्व में कार्यवाही हुई है जिसका हमे ज्ञात होने पर हमारे द्वारा उसके विरूद्व फौजदारी मुकदमा धारा 420, 467, 471 में दर्ज कारवाया था। जिसका अनुसंधान होकर न्यायालय में पेश हुआ है जिसमें अनुसंधान अधिकारी व माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख)श्रीमाधोपुर द्वारा लादूराम के एक मात्र वारिस श्योलाराम ही होना व जमीन पर भौतिक रूप से श्योलाराम का कब्जा होना माना है एवं मांगू नाम का व्यक्ति लादूराम के कोई वारिस नही होना भी माना है। प्रस्तुत रिकार्ड एवं साक्ष्य से मेरा दावा पूर्णत्या साबित होता है। अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जावें।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेजात,मिलान क्षेत्रफल का अधोपान्त अवलोकन किया गया। बयान गवाहान पर गौर किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वंत 2021 से 2024 ग्राम हथोरा तहसील श्रीमाधोपुर के अवलोकन से पाया गया कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में लादू, हरला पि0 काना के नाम दर्ज रही है तथा उनके फौत होने पर उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई है। जमाबन्दी के कॉलम संख्या 16 में जो सजरा अंकित किया गया है उसमें लादू के श्योला व हरला के बद्री व गीधा वारिस दर्शाये गये है जबकि जमाबन्दी में श्योला [illegible] लादू हि0 1/2, बद्री,

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2020.10.27 12:20:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

गीदा पि0 हरला हि0 1/2 कौम अहीर सा0 देह ढाणी परोडा दर्ज है। इससे यह स्पष्ट है कि जो कॉलम सं. 16 में कुर्सीनामा दर्ज किया है उसमें खातेदार लादू के एक मात्र श्योला वारिस दर्ज किया है किन्तु जमाबंदी में श्योला के साथ मांगू का भी नाम दर्ज है। इससे प्रथम दुष्टिवा यही प्रतीत होता है कि मांगू का नाम जमाबंदी में सहवन से ही दर्ज हुआ है। तत्पश्चात बने राजस्व रिकार्ड जमाबंदियों में भी मांगू पुत्र लादू हि. 1/4 दर्ज चला आ रहा है। जो विवादित भूमि की जमाबंदी सम्वंत 2066 से 2069 ग्राम पारोड़ा पटवार हल्का हथोरा व जमाबंदी सम्वंत 2069 से 2072 ग्राम हथोरा में दर्ज रिकार्ड है।

जहाँ तक पूर्व खातेदार लादू पुत्र काना के मांगू नाम के पुत्र होने व नही होने का प्रश्न है यह प्रस्तुत मेजरनामा, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत हथोरा दिनांक 26.8.2017, एवं अनुसंधान अधिकारी अभियोग संख्या 275/2006 पुलिस थाना अजीतगढ तथा आदेश मान0 न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख) श्रीमाधोपुर एवं जमाबन्दी सं. 2021 से 2024 के कॉलम संख्या 16 में दर्शित कुर्मीनामा से स्पष्ट है कि पूर्व खातेदार लादू के मांगू नाम का कोई पुत्र नही था केवल राजस्व रिकार्ड में सहवन से हुई गलती के कारण ही मांगू का नाम दर्ज हुआ है। तथा विवादित भूमियों के सह खातेदार बद्री पुत्र हरला आयु 72 वर्ष जाति अहीर निवासी पारोडा(हथोरा) ने भी साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र प्रस्तुत कर लादू के एक मात्र पुत्र सन्तान/ वारिस श्योला पुत्र लादू होनो एवं स्व0श्योला के वादीगण ही वारिस पुत्रगण होना स्वीकार किया है एवं विवादित भूमियों के 1/2 हिस्से पर पूर्व में श्योला व उसके फौत हौने पर वादीगण को ही काबिज काश्त चले आना स्वीकारा है साथ ही लादू के मांगू नाम का कोई पुत्र सन्तान नही होना भी स्वीकारा है। पडौसी काश्तकारान चौथूराम पुत्र चन्द्राराम आयु 65 वर्ष जाति अहीर, श्योनाथ पुत्र उदाराम आयु 75 साल जाति अहीर, साधुराम पुत्र नन्दाराम आयु 60 वर्ष जाति अहीर निवासीगण पारोड़ा (मोद्याड़ी) तहसील श्रीमाधोपुर ने भी बतौर गवाह शपथ पत्र प्रस्तुत कर वादीगण के कथनों की ताईद करते हुये पूर्व में 1/2 हिस्से पर वादीगण के पिता श्योला व उसके फौत होने के बाद वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आना एवं वर्तमान में भी वादीगण का ही कब्जा काश्त होना स्वीकारा है। अतः प्रस्तुत रिकार्ड, साक्ष्य, दस्तावेजात एवं बयान गवाहान से यह सिद्व होता है कि विवादित भूमियों के 1/2 हिस्से पर पूर्व में वादीगण के पिता श्योला पुत्र लादू का ही भौतिक रूप से कब्जा काश्त रहा है तथा उसके फौत होने पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। मांगू पुत्र लादू का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से दर्ज होना प्रतीत होता है। अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम ग्राम पारोड़ा तहसील श्रीमाधोपुर के भूमि खसरा नम्बर 591, 592, 594, 597, 601, 602, 60[illegible], [illegible]605, 606, 607, 608,

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2020.10.27 12:20:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

609, 610, 613, 614, 615, 616, 623, 624, 630 किता 21 रकबा 15.69 है. एवं राजस्व ग्राम हथौरा के भूमि ख.न. 1595, 1599, 1600 किता 3 रकबा 2.06 है में दर्ज खातेदार मांगू पुत्र लादू हिस्सा 1/4 का नाम हजफ किया जाकर उक्त 1/4 हिस्से का वादीगण संख्या 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर- बराबर का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिर्की मुर्तीव हो।

निणय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (फारेस्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2020.10.27 12:20:03 IST
Reason: SelfAttested